



सत्यमेव जयते

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

सं0 एसएनके/1/2011/एमएफआईएन9/एटीओटीएच/आर.यू.-IV

सेवा में,

पुलिस अक्षीक्षक,  
जिला-अजमेर,  
अजमेर (राजस्थान)

छठी मंजिल, 'बी' विंग, लोक नायक भवन  
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003

6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan  
Khan Market, New Delhi-110 003

Dated .....13-06-2012.....

विषय: अनुसूचित जनजाति के एलआईसी अधिकारी की दिनांक 02-11-2011 को हुई आत्महत्या के आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आयोग को प्रेषित आपके पत्र सं0 स-3()अजम.अप/एसआर/ 11/35261-64 दिनांक 21-12-2011, पत्र सं0 स-3()अजम.अप/एसआर/12/4960-62 दिनांक 22-02-2012 एवं पत्र संख्या स-3()अजम.अप/एसआर/12/11549-52 दिनांक 30-04-2012 के संदर्भ में कथन है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग के माननीय अध्यक्ष, डा0 रामेश्वर उराँव जी ने प्रकरण पर चर्चा एवं सुनवाई हेतु दिनांक 27-06-2012 को दोपहर 12.00 बजे आपकी व्यक्तिगत तौर पर उपस्थिति निश्चित की है।

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रकरण से संबंधित सभी मूल दस्तावेजों सहित उक्त अनुसूचित तिथि को आयोग में उपस्थित होने का कष्ट करें।

भवदीय,

(के.डी. बन्सौर)श्रीमती

उप निदेशक

प्रतिलिपि:

1. श्री नासयणण कैमला, प्रदेशाध्यक्ष, राजस्थान आदिवासी मीणा महासभा, अम्बिका-ई- 619, लाल कोठी योजना, नई विधानसभा के पास, जयपुर-302015
2. श्री रामजीलाल मीणा, 8-ए, गोकुल विहार, बुद्धसिंहपुरा, सांगानेर, जयपुर
3. महा सचिव, जयपुर मण्डल अनुसूचित जाति/जनजाति जीवन बीमा निगम कर्मचारी कल्याण संघ, जयपुर (राजस्थान)

प्रति: (1) SSA (NIC).

(के.डी. बन्सौर)श्रीमती

उप निदेशक